दिनांक 18.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर, 08.26 क्विंटल गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 18–09–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को लगभग 08.26 क्विंटल गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1–विष्णु खरवार पुत्र इन्द्रासन खरवार, निवासी मुर्कीकला, थाना मोहम्मदाबाद,गाजीपुर।

2–सुकुर अली पुत्र इसहाक अली, निवासी लामाबारी, थाना मजबत, उदलगुरी, असम।

बरामदगी–

1– 08.26 क्विंटल गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड रूपये)

2– एक अदद ट्रक वाहन संख्या UP61 CT1629

2– 03 अदद मोबाइल

3– 01 अददएटीएम कॉर्ड

4– 01 अदद आधार कॉर्ड

5– 01 अदद डी0एल0

5– रू0 7000/– नकद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

चौकी कोरण्टाडीह से पहले भरौली–गाजीपुर रोड, थाना क्षेत्र नरही जनपद बलिया। दिनांक 18.09.2025 समय करीब 01.00 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोहो के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 17—09—2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य अरूणाचल प्रदेष से वाहन संख्या UP61 CT1629 से घरेलू सामान पहुंचाने की आड़ में गॉजा छिपाकर असम व बिहार राज्य के रास्ते भरौली चौराहा होते हुए गाजीपुर जाने वाले है। इस सूचना पर निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 नीरज मिश्रा, मु0आ0 विजेन्द्र नाथ राय, मु0आ0 नीरज कुमार, मु0आ0 अमित यादव, की टीम द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिकारी श्री उस्मान व थाना नरही जनपद बलिया की टीम को साथ लेकर चौकी कोरण्टाडीह से पहले भरौली—गाजीपुर रोड, थाना क्षेत्र नरही से 02 तस्करों गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु खरवार ने पूछताछ में बताया कि उपरोक्त वाहन उसका स्वंय का है। असम के मजबट मार्केट में मिले विनोद झा द्वारा अरूणाचल प्रदेष से घरेलू सामानों के बीच में गॉजा लोड कराया गया था, जिसे गाजीपुर व आस—पास के जनपदों में सप्लाई करने हेतु ला रहा था। गॉजा को बेचने के बाद विनोद झॉ को पैसा देना था। दूसरे अभियुक्त सुकुर अली ने बताया कि वह भी गाड़ी चलाने का काम करता है। मजबत मार्केट मे ही विष्णु खरवार से मुलाकात हुई थी। विष्णु खरवार ने वाहन चलाने के एवज में 20 हजार रूपये देने के लिए कहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नरही जनपद बलिया में मु0अ0सं0 0214/2025 धारा 8/20/25/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर, दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त विष्णु खरवार पुत्र इन्द्रासन खरवार का ज्ञात अपराधिक इतिहास—</u>

1— मु0अ0सं0 0862/2010, धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1690 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2— मु0अ0सं0 0100/2018, धारा 20/8 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

जनपद बलिया/थाना बैरिया

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरिया–दोकटी सोनबरसा ग्रीन फील्ड ओवर ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चेंपू उर्फ राठौर उर्फ अभिनाश उर्फ अभिराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बैरिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चेंपू उर्फ राठौर उर्फ अभिनाश उर्फ अभिराम निवासी ग्राम सावन छपरा थाना दोकटी जनपद बलिया।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद अयोध्या/थाना रौनाही

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.09.2025 को थाना रौनाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस अड्डा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 आसिफ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अयोध्या व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, सीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रौनाही पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रौनाही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0आसिफ निवासी ग्राम बाबागंज थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी।

जनपद जालौन/थाना कुठौन्द

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 38 हजार 400 रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना कुठौन्द व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पारेन अण्डरपास के पास से 06 अभियुक्तों 1–अनिरूद्ध उर्फ मामा उर्फ राजा 2–धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला 3–सुरेन्द्र 4–प्रदीप उर्फ नन्ना 5–शिवम 6–सत्येन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 38 हजार 400 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कुठौन्द क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुठौन्द पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, महोबा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त प्रदीप के विरूद्ध जनपद झाँसी, जालौन के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला के विरूद्ध जनपद हमीरपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कुठौन्द पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिरूद्ध उर्फ मामा उर्फ राजा निवासी ग्राम ऐको थाना कुठौन्द जनपद जालौन।

2–धर्मेन्द्र उर्फ लल्ला निवासी महेरा थाना विवार जनपद हमीरपुर।

3–सुरेन्द्र निवासी बरखेडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

4–प्रदीप उर्फ नन्ना निवासी ऐर थाना डकोर जनपद जालौन।

5–शिवम निवासी कुकरगाँव थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

6–सत्येन्द्र निवासी पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 38 हजार 400 रूपये नगद।

3–07 मोबाइल फोन।

4–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सीतापुर/थाना रामकोट

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **27 हजार 800 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेसौरा मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–शिवम 2–मुकेश उर्फ अंबानी 3–शरीफ उर्फ खैनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 27 हजार 800 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.09.2025 को थाना रामकोट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामकोट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम निवासी काशीराम कॉलोनी थाना रामकोट जनपद सीतापुर।

2–मुकेश उर्फ अंबानी निवासी कस्बा व थाना मछरेहटा व हालपता घूरामऊ बंगला थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

3–शरीफ उर्फ खैनी निवासी मछली मंडी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–27 हजार 800 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 ई–रिक्शा**
- **चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 ई–रिक्शा**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाइपास रोड़ से फैक्ट्री एरिया जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नीरज 2–रितिक उर्फ राहुल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 ई–रिक्शा, चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 ई–रिक्शा, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.09.2025 को थाना रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ई–रिक्शा चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी सोफीपुर थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद।

2–रितिक उर्फ राहुल निवासी छारबाग रामनगर थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 06 ई–रिक्शा।

2– चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 ई–रिक्शा।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 04 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा**
- **09 हजार 870 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मकदूमपुर जीटी रोड, पॉल टी–स्टॉल के पास से अभियुक्त डब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 04 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा, 09 हजार 870 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–डब्लू निवासी उतरौली थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 04 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा।

2–09 हजार 870 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

3–01 कार आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली मण्डी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 200 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी समीति परिसर के पास से अभियुक्त नौशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 200 ग्राम अवैध स्मैक, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद निवासी गली नं0—8 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 200 ग्राम अवैध स्मैक।

2—01 दो पहिया वाहन।

- **जनपद सीतापुर/थाना इमलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना इमलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376ए,बी/364/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीलू को मृत्यु दण्ड व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना फूलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 70—70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/506 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट व 67ए आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—सूरज 2—सुनील कुमार उर्फ नानक 3—नागेन्द्र को आजीवन कारावास व 70—70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 60—60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त 1–पुष्पेन्द्र 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना पूरनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना पूरनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त तोताराम को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरीलाल उर्फ सतेन्द्र 2–होरीलाल को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना पयागपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना पयागपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दद्दू को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————